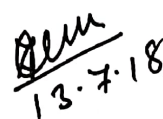


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 73/2018-19

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
13.7.18	आवेदक शैलेश्वर बान्दिया, पिता स्व० सुखलाल बान्दिया, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-उड़न चौका थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खेतियानी जमीन मौजा-मसुरीकुदर थाना नं०-151, खाता नं०-41, प्लॉट नं०-28, रकवा:-0.05 ए०, क्रेता श्रीमती विजय कन्दुलना, पति-स्व० पितरुस कन्दुलना, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-मसुरीकुदर, पो०+थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है । <table><tr><td>मौजा</td><td>थाना सं०</td><td>थाना</td><td>खाता सं०</td><td>प्लॉट सं०</td><td>रकवा एकड़ में</td></tr><tr><td>मसुरीकुदर</td><td>151</td><td>सोनुआ</td><td>41</td><td>28</td><td>0.05 ए०</td></tr></table> आवेदक को/- (.....) रुपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 0.05 ए० को कुल कीमत/- (.....) रुपए मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते है। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी सोनुआ से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 30.7.18 तक मांग करें । अभिलेख दिनांक 31.7.18 को उपस्थापित करें ।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	मसुरीकुदर	151	सोनुआ	41	28	0.05 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
मसुरीकुदर	151	सोनुआ	41	28	0.05 ए०									
लेखापित एवं संशोधित 13.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	 13.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर													

29.10.2018-
16.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ से जांच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Devi
16.11.18
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।